न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी–श्री साधुराम, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 1/14 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–जीवराज पिता दोला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–बालूराम पिता दोला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–कालूराम पिता दोला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–सायरी पुत्री दोला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–सोसर पुत्री दोला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–धापू बैवा अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–धन्ना पिता अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–भगवान पिता अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9–आसू पिता अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–भेरा पिता हूक्मा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–जैराम पिता हूक्मा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–अर्जून पिता हूक्मा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–बड़ौदा राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
6–सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर तहसील रायपुर

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती(धारा:136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.)</u>

उपस्थित

1. –फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 12.07.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रायपुर मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 926/1 रकबा 10 बिस्वा, 926/3 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित थी। प्रमाण मे नकल जमाबंदी सम्वत 2030 से 2033 एवं 2033 से 2036 तक मय साबिक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है। उक्त साबिक आराजियात साबिक नक्शे मे एक चक मे दर्शीत थी। जिनके मध्य थला से करेडा जाने वाली मुख्य सडक निकली हुई है। प्रार्थीगण साबिक नक्शे अनुरूप मौके पर काश्त करते चले आ रहे है साबिक नक्शे मे प्रार्थीगण की आराजियात के मध्य निकली हुई सडक के पुर्वी दिशा की तरफ 11 बिस्वा भूमि नक्शे मे फिट की हुई थी। प्रमाण मे साबिक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है। विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या 925/1 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि साबिक नक्शे मे प्रार्थीगण की आराजियात के उत्तरी दिशा की तरफ फिट थी। तथा उसके पूर्वी कोने पर सडक निकली हुई है। जो साबिक नक्शे मे दर्शीत है। भू प्रबन्ध होने पर साबिक आराजी संख्या 926/1 रकबा 10 बिस्वा के नवीन नम्बर 42 रकबा 0.11 है0 तथा साबिक आराजी संख्या 926/3 के नवीन नम्बर 41 रकबा 0.72 है0 कायम हुये तथा विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या 925/1 के नवीन नम्बर 43 रकबा 2.04 है0 कायम हुये। प्रमाण मे नकल मीलान क्षैत्रफल प्रस्तुत है। भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध कर्मचारियो एवं अधिकारीयो को राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज करने का कोई विधिक आदेश नही होते हुये भी भू प्रबन्ध कर्मचारियों ने प्रार्थीगण की साबिक आराजियात के नवीन नक्शै को साबिक नक्शै अनुरूप नही बनाकर काफी छोटा कर दिया है। तथा नवीन आराजियात को गलत फिट कर

2

गया है नवीन नक्शै मे सडक के पूर्वी दिशा की तरफ विपक्षीगण की आराजी संख्या 43/1621 रकबा 0.12 है० को फिट कर दिया है। जब कि साबिक नक्शै मे सडक के पूर्वी दिशा की तरफ प्रार्थीगण की भूमि फिट थी। प्रार्थीगण साबिक नक्शै अनुसार नवीन नक्शा दुरस्त कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के नवीन नक्शै को सेटलमेन्ट के दौरान गलत तरमीम किया गया है जिससे प्रार्थीगण की भूमि सडक के पश्चिमी ओर हि फिट की गई है जब कि साबिक नक्शै मे सडक के पूर्वी दिशा की ओर 12 बिस्वा भूमी फिट थी। मौके पर साबिक नक्शै के अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने अपने रकबे पर काबिज है। साबिक नक्शै अनुरूप नवीन नक्शा तरमीम नही होने से विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 जबरन प्रार्थीगण को बैदखल करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थीगण की रोड़ की पूर्वी दिशा की तरफ स्थित भूमि पर बंबुल के बडे वृक्ष है तथा चारो तरफ त्रिभुजाकार मे थुहरो की बाड लगी हुई है। विपक्षीगण ने खडे हुए वृक्ष को काट दिया है तथा मौके पर जबरन कब्जा करना चाह रहे है जिन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक है विपक्षीगण को नही रोका गया तो प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे तथा खडे वृक्ष भी काट कर ले जायगे। जिससे विवश होकर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडा है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भुमि कि पडोसी खातेदार है । तथा नवीन नक्शै को दुरूस्त करने में प्रभावित पक्षकार होने से तथा विपक्षी संख्या 4 का रहन का इन्द्राज दर्ज होने से व विपक्षी संख्या 5 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है जिन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 10.04.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 01 से 03 बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पैश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व लौक अदालत न्याय आपके द्वार मे भी नोटिस जारी किये गये। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तगर्त आदेश 1 नियम 10 सि.पी.सि. का पेश किया जिसकी प्रतिलीपी विपक्षी संख्या 6 को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब के अनुसार ग्राम थला कि आराजी नम्बर 57 रकबा 0.95 है0 में जो सड़क दर्शायी गयी है वे सड़क मौके पर आराजी नम्बर 42 मे आती है। इस प्रकार राजस्व नक्शै में मौके कि स्थिती अनुसार रकबा कमी/बैशी नही करते हूए संशोधन किया जाता हे तो विभाग को कोई आपति नही है। तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट मे नक्शा ट्रेस के पैश किया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी जोधराज पिता दोला कुमावत वगेरह के नाम ग्राम थला कि आराजी नम्बर 41/0.72, 42/0.11 कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 दर्ज रेकार्ड है। भू प्रबन्ध पूर्व प्रार्थीगण के पुर्वजो के नाम ग्राम थला कि आराजी नम्बर 926/1 रकबा दस बिस्वा व 926/3 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा तीन बीघा सतरह बिस्वा दर्ज था मिलान क्षैत्रफल अनुसार नये आराजी नम्बर 41 रकबा 0.72, 42 रकबा 0.11 है0 बने जो सही है। पुराने नक्शे मे आराजी नम्बर 926/1 व 926/3 खातेदार प्रार्थी कि भूमि के बिच आराजी नम्बर 926/2 सड़क दर्ज थी परन्तु वक्त भू प्रबन्ध नये आराजी नम्बर 41 व 42 को आपस मे मिला दिया गया व सड़क आराजी नम्बर 42 के पूर्व दिशा मे दर्ज कर दिया गया जो गलत है तथा मौके पर सड़क आराजी नम्बर 42 मे निकल रही है तथा रेकार्ड मे दर्ज आराजी नम्बर 57 सड़क की जगह प्रार्थी को खातेदारी दर्ज होना चाहिये। प्रार्थीगणो की नवीन आराजी नम्बर 42 रकबा 0.11 किस्म रे.क. मे से रकबा 0.10 है0, किस्म गैमु सड़क सार्वजनिक निर्माण रायपुर के नाम तथा आराजी नम्बर 57 रकबा 0.95 है0 किस्म सड़क मे से आराजी नम्बर 42 के पूर्व दिशा मे रकबा 0.10 है0 किस्म रे.क. सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर के बजाय प्रार्थीगणो के नाम किया जाना उचित है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम थला पटवार हल्का थला मे प्रार्थीगण की नवीन आराजी नम्बर 42 रकबा 0.11 किस्म रे.क मे से रकबा 0.10 है किस्म गैमु सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर के नाम तथा आराजी नम्बर 57 रकबा 0.95 है0 किस्म सड़क मे से आराजी नम्बर 42 के पूर्व दिशा में रकबा 0.10 है0 किस्म रे.क सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर के बजाय प्रार्थीगणो के नाम दर्ज किया जाना एवं नवीन नक्शा दुरस्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

ग्राम थला पटवार हल्का थला मे प्रार्थीगण की नवीन आराजी नम्बर 42 रकबा 0.11 किस्म रे.क मे से रकबा 0.10 है किस्म गैमु सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर के नाम तथा आराजी नम्बर 57 रकबा 0.95 है0 किस्म सड़क मे से आराजी नम्बर 42 के पूर्व दिशा में रकबा 0.10 है0 किस्म रे.क सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर के बजाय प्रार्थीगणो के नाम दर्ज किया जाना एवं नवीन नक्शा दुरस्त करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
12/7/17